

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 17th August, 2007

S.O. 69 /H.A.6/2003/S 59/2007. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 5/H.A. 6/2003/S.59/2007, dated the 19th July, 2007, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule C appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), in Schedule C under columns 1 and 2,-

- (i) after serial number 21 and entries thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely :-

1	2
“21A	Compact Fluorescent Lamps, tubes and bulbs;”

- (ii) for serial number 72 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of April, 2007, namely :-

1	2
“72	Rail Coaches, engines, wagons, spares and parts thereof;”.

RAMENDRA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 17 अगस्त, 2007

संख्या का0आ0 69/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2007.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 5/ह0अ06/2003/धा059/2007, दिनांक 19 जुलाई, 2007, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में, अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे,—

- (i) क्रम संख्या 21 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेगी, अर्थात् :-

1	2
"21क कोम्पैक्ट फ्लोरोरोसैन्ट लैम्पस, ट्यूब्स तथा बल्बस;"	

- (ii) क्रम संख्या 72 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, तथा अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की गई समझी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2
"72 रेल कोचिज, इन्जनस, वैगन्स तथा उनके कल पुर्जे;" ।	

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।